18.11.2019

अपील पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नही है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा जरिये अभिभाषक श्री अविनाश ठाकुर एडवोकेट के न्यायालय अति0 जिला मजि0 (शहर) कोटा द्वारा मुक0 सं0 12/2018 सरकार बनाम बालमुकन्द मे धारा 3 राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 30.3.2019 से व्यथित होकर धारा 6 राज0 गुण्डा नियं0 अधि0 मे अपील न्यायालय हाजा मे दिनांक 9.4.2019 को पेश कर जेरअपील निर्णय दिनांक 30.3.2019 को निरस्त करने की इस्तदुआ की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसायल/अपीलांट को धारा 3 के तहत कार्यवाही करते हुये निर्णय की तारीख से 15 दिन पश्चात यानि दिनांक 14.4.2019 से 35 दिवस की अवधि के लिये कोटा जिले की सीमा से बदर कर थाना कोतवाली जिला झालावाड के लिये निष्कासित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे वर्णित निष्काषित अवधि काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध 13 आरपीजीओ के दर्ज 2 प्रकरण मे न्यायालय मे गैरसायल के विरूद्ध दोष सिद्ध कर जुर्माना आरोपित किया गया है। अतः गैरसायल राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (ख) (5) मे परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत गुण्डा साबित होना प्रकट होने से जेरअपील उक्त आदेश पारित किया है। अपीलांट व उसके अभिभाषक ने अपील प्रकरण मे उपस्थित होकर अपना पक्ष भी प्रस्तुत नही किया है। अतः उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्णय शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(एल0 एन0 सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा